

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/7124-7245

दिनांक: 13/12/13

आदेश संख्या: 320 /2013-14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 30 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाकारों को कार्यभार संभालने की दिनांक से 6 माह अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तिथि या विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, पूर्णतः आवश्यक अस्थाई आधार पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के पद पर वेतन श्रृंखला (पी.बी.2) 9300-34800 ग्रेड-पे (रुपये 4800/-) में एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	लिंक नं०	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	प्रवर्ग	जन्म तिथि	विशेष विवरण
1	9045	मांगी लाल मुलेवा		21.08.59	
2	8785	विनायक मिश्रा		05.01.60	
3	1741	महेश चन्द शर्मा	-	23.09.59	
4	753	दिनेश चन्द भट्ट		12.11.61	
5	2771	शुभकरण सिक्का		05.04.59	
6	8773	विष्णुवतार गोयल		20.12.57	
7	8853	नन्द लाल धनवानी		09.11.60	
8	484	प्रेम प्रकाश गुर्जर		27.11.59	
9	848	राधेश्याम शर्मा		21.06.59	
10	491	पवन कुमार अग्रवाल		15.06.62	
11	986	चन्द्र कान्त पालीवाल		01.01.61	
12	1074	जगदीश चन्द्र व्यास		01.01.58	
13	1785	मदनलाल गोयल		06.09.56	
14	1341	लक्ष्मण सिंह गुर्जर		01.07.57	
15	516	प्रकाश मोहन बसल		19.06.61	
16	793	ध्यान चन्द कुमावत		14.01.56	
17	558/83	लक्ष्मण सिंह राठोड		15.07.59	
18	8634	गोविन्द प्रसाद शर्मा		09.07.56	
19	950	रणधीर सिंह		20.08.59	
20	715	भानुप्रताप सिंह		30.06.59	
21	806	देवकुमार पुरोहित		01.10.59	
22	3039	विनोद कुमार मंगल		09.08.55	
23	1407	कैलाश चन्द शर्मा		30.06.57	
24	1075	राधेश्याम वर्मा		02.02.60	
25	566	अब्दुल साजिद		18.06.56	
26	1696	मुरली मनोहर शर्मा		10.09.56	
27	1084	राजीव पालीवाल		27.01.61	

28	8648	गोपाल लाल सुखवाल		08.01.62
29	1710	मुरलीधर काष्ट		02.12.59
30	992	चतुर्भूज कुमावत		02.09.60
31	2039	भांगी लाल वर्मा		07.07.55
32	1194	रामेश्वर लाल जोजावर		02.08.56
33	1237	राजेन्द्र प्रसाद सोनी		09.12.55
34	5282	प्रवीन कुमार जैन		24.10.64
35	8926	गोपी कृष्ण बोहरा		15.06.64
36	5270	मुरलीधर शर्मा		01.09.57
37	3472	विजय कुमार		23.07.55
38	1530	गोपीलाल हाम्बड		15.06.63
39	3114	अमरसिंह राजपुरोहित		10.05.58
40	5292	मधुसुदन गौड		10.07.63
41	2046	ईश्वर सिंह		15.07.65
42	5165	सुगना राम नायक	अजा	11.12.67
43	4810	ओमप्रकाश कोली	अजा	12.01.60
44	5183	शिवनारायण सोनगरा	अजा	20.02.66
45	3933	नवलकिशोर मीणा	अजजा	09.07.66
46	5198	सुरज्ञान मीणा	अजजा	08.07.66
47	4857	प्रभुलाल सुनारिया	अजा	15.11.58
48	5283	उदयलाल चमार	अजा	04.07.60
49	2175	हनुमान लाल बैरवा	अजा	15.07.63
50	1952	रामनिवास मीणा	अजजा	01.04.64
51	8429	जयसिंह डामोर	अजजा	14.03.65
52	2264	गीतमल मीणा	अजजा	11.06.66
53	2338	राजेन्द्र प्रसाद मीणा	अजजा	25.09.71
54	5904	सीताराम मीणा	अजजा	04.03.63
55	3911	बनवारी लाल मीणा	अजजा	11.07.69
56	3229	लखन लाल मीणा	अजजा	16.06.64
57	2347	रामप्रसाद मीणा	अजजा	09.07.70
58	5435	शिवदयाल मीणा	अजजा	01.07.71
59	4477	भरत लाल मीणा	अजजा	01.07.67

उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। यह पदोन्नति निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. यह पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/ अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये, दी जाती है।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है उस पद पर कभी भी पदावधि की जा सकेगी।

3. इस आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियां केवल नियमित पदोन्नतियों से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
7. इन तदर्थ पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है।
8. यदि कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णित हो जाए अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पात्रता, दक्षता एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने अथवा विभागीय जाँच यथास्थिति करने का निर्णय सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश प्रसारित करने की तिथि से समाप्त समझी जावेगी/ हो जावेगी।
उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2013 जयपुर, दिनांक 18.09.2013 एवं प.2(15)वित्त/राजस्व/10 दिनांक 30.09.2013 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


 (वीरबाला जोशी)
 निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/ 7124-7245

दिनांक: 13.12.13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
3. श्री लेखाकार, कार्यालय
4. उपनिदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
5. सहायक निदेशक, अलेसें द्वितीय।
6. निजी सहायक निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


 (क.एम. मीणा)
 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)